आदेश व इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 42/2020 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

भारतीय स्टेट बैंक शाखा एस.एम.ई. केन्द्र प्लॉट नम्बर एस.पी.–1, रोड नम्बर 1, विश्वकर्मा इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स चिराग एन्टरप्राईजेज प्रो. श्री प्रमोद कुमार पारीक पुत्र श्री राधेश्याम पारीक
   (अ). दुकान नम्बर जी–14, ग्राउण्ड फ्लोर मय बेसमेन्ट, यूनिट संख्या बी–14, शुभम अपार्टमेन्ट, प्लाट नम्बर 2, सेन्ट्रेल स्पाईन, विद्याधर नगर, जयपुर,
   (ब). 1/561, डॉल्फिन स्कूल, विद्याधर नगर, जयपुर एवं
   (स). ग्राम धींगपुर, तहसील दातारामगढ, जिला सीकर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

उपस्थित :– श्री सत्येन्द्र खोरानियां अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से।

जिला मजिस्ट्रेट जिला जयपुर (राज.)

आदेश

दिनांक:24.08.2020

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 02.08.2013 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में श्री प्रमोद कुमार पारीक पुत्र श्री राधेश्याम पारीक की दुकान नम्बर जी–14, (बिना छत अधिकार) ग्राउण्ड फलोर मय बेसमेन्ट यूनिट संख्या बी–14, शुभम अपार्टमेन्ट, प्लाट नम्बर 2, सेन्ट्रल स्पाईन, विद्याधर नगर, जयपुर स्थित व्यावसायिक सम्पति क्षेत्रफल 234.40 वर्गफिट, तथा हाईपोथिकेटेड स्टॉक्स आफ प्लास्टिक फर्नीचर, प्लास्टिक गुडस, क्रॉकरी, बैटरी, आयरन फर्नीचर, वुडन फर्नीचर, एल्युमिनियम गुडस एण्ड फॉम इत्यादि, एन्टायर करन्ट असेट्स एण्ड फिक्सड असेट्स (बोथ प्रजेन्ट एण्ड फ्युचर), स्टोर्स एण्ड स्पेयर्स, स्टॉक–इन–ट्रांजिट, सण्ड्री डेटर्स, आल द प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर, लिस्ट ऑफ बुक–डेब्ट्स, आउटस्टेण्डिंग, रिसीवेबल ऑल मूवेबल्स, इक्युपमेन्ट्स, सिक्योरिटीज, अदर मूवेबल्स फिक्स्ड असेट्स, फर्नीचर, फिक्चर्स एण्ड फिटिंग्स इत्यादि को दृष्टिबन्धक कर रू. 11,00,000/–रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

दिनांक 24.10.2017 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास दृष्टिबन्धक उक्त सम्पत्ति व इससे सम्बन्धित दस्तावेजात का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नही है।

3. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया । पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 11,00,000/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 8,40,585/–रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 24.10.2017 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नही दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थी श्री प्रमोद कुमार पारीक पुत्र श्री राधेश्याम पारीक की दुकान नम्बर जी–14, (बिना छत अधिकार) ग्राउण्ड फ्लोर मय बेसमेन्ट यूनिट संख्या बी–14, शुभम अपार्टमेन्ट, प्लाट नम्बर 2, सेन्ट्रल स्पाईन, विद्याधर नगर, जयपुर स्थित व्यावसायिक सम्पति क्षेत्रफल 234.40 वर्गफिट, तथा हाईपोथिकेटेड स्टॉक्स आफ प्लास्टिक फर्नीचर, प्लास्टिक गुडस, क्रॉकरी, बैटरी, आयरन फर्नीचर, वुडन फर्नीचर, एल्युमिनियम गुडस एण्ड फॉग इत्यादि, एन्टायर करन्ट असेट्स एण्ड फिक्सड असेट्स (बोथ प्रजेन्ट एण्ड फ्युचर), स्टोर्स एण्ड स्पेयर्स, स्टॉक–इन–ट्रांजिट, सण्ड्री डेटर्स, आल द प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर, लिस्ट ऑफ बुक–डेब्ट्स, आउटस्टेण्डिंग, रिसीवेबल ऑल मूवेबल्स, इक्युपमेन्ट्स, सिक्योरिटीज, अदर मूवेबल्स फिक्स्ड असेट्स, फर्नीचर, फिक्चर्स एण्ड फिटिंग्स इत्यादि का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा व उससे सम्बन्धित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थीगण के कब्जे में हो तो प्रार्थी बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) (राज.) जिला जयपुर

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 24.08.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

24/8/2020

(अन्तर सिंह नेहरा)

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर